

I/511357/2024

प्रेषक,

डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,
उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन,
लखनऊ।
7. सचिव,
रेरा, लखनऊ।
8. सदस्य सचिव/उपाध्यक्ष,
स्मारकों संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों
व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा
एवं अनुरक्षण समिति/
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2024

विषय: अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2/2023/892/सैतालिस- का-1-2023-13(3)2023 दिनांक 13.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यालय में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किये जाने एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ऐसे विदाई समारोह में ही उनके समस्त सेवानिवृत्तिक देयकों यथा-पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेच्युटी, एवं कम्प्यूटेशन) अवकाश नकदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक विभाग के उक्त आदेश दिनांक 13.10.2023 के निर्देशानुसार अपने कार्यालय में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के संतोषजनक रूप से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस में एक विदाई

I/511357/2024

सम्मान समारोह आयोजित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को ऐसे विदाई समारोह में ही उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पी0पी0ओ0 (पेंशन, ग्रेच्युटी, एवं कम्प्यूटेशन) अवकाश नकदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि के नियमानुसार भुगतान का आदेश हस्तगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ०
नितिन रमेश गोकर्ण
(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)
Date: 20/04/2024
Reason: मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- (2) निजी सचिव, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (3) समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (4) संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव/समस्त अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (5) निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2023/892/सैंतालीस-का-1-2023-13(3)2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

विषय:- अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों/संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानिवृत्तिक देयकों यथा-पी0पी0आ0 (पेंशन, ग्रेजुएटि एवं कम्प्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी0पी0एफें0 में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की लम्बी सेवा के दृष्टिगत उन्हें एक मोमेंटों व एक ODO के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए, उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।